सत्यमेव जयते

सी.सं. 19 (III) / कर मुक्ति / देहरादून / 2007–08 / तक. / 17305 दिनांक 27/3/09

भारत सरकार

(वित्त मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त

13–ए, सुभाष रोड, देहरादून

सेवा में,

मानव स्कूल ग्लोबल फाउन्डेशन ट्रस्ट
166-शिवालिक इन्कलेव
रेस कोर्स देहरादून

विषय : आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अधीन कर मुक्ति प्रमाण–पत्र।

उपर्युकत विषय पर दिनांक 20-03-09 की आपकी याचिका के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि मानव स्कूल ग्लोबल फाउन्डेशन ट्रस्ट

(न्यास/संस्था का नाम और पता)

166-शिवालिक इन्कलेव रेस कोर्स देहरादून

को दिया गया संदान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर मुक्त के लिए दिनांक 20-03-09 से 31.3.11 तक की अवधि के लिए वैध है।

आर० के० शर्मा
(आर.के. शर्मा)
आयकर आयुक्त
देहरादून

सील

नोट :–

1. दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और दिनांक लिखा होना चाहिए और स्पष्ट रूप से यह भी लिखें कि यह प्रमाण पत्र केवल दिनांक 20-03-09 से 31.3.2011 तक की अवधि के लिए वैध है।
2. प्राप्तियों और खर्चों के हिसाब का वार्षिक विवरण आयकर अधिकारी के पास अवश्य प्रस्तुत करें।
3. यदि इस कर मुक्ति के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाना हो तो अपने आयकर आयुक्त को आवेदन करें। आवेदन निर्धारित फार्म 10जी में भरकर संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें। आवेदन के साथ वार्षिक प्राप्तियों और खर्चों का पूर्ण विवरण और यदि नियमों या विनियमों में कोई परिवर्तन/संशोधन किए गए हों तो उसकी सूचना भी अवश्य संलग्न करें।

सम संख्या और दिनांक..........

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त/~~वार्ड~~/सर्किल-2 देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। यदि कोई न्यास/संस्था अपने जन कल्याण उद्देश्य के विपरीत फण्ड का दुरूपयोग करता है तो उसकी सूचना इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
2. अपर/सयुक्त आयकर आयुक्त रेंज-2 देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त, देहरादून